प्रेस विज्ञप्ति
29/07/2026

<u>ईडी ने झारखंड, धनबाद में अवैध कोयला खनन, अवैध रूप से खनन किए गए या चोरी के कोयले की तस्करी, कोयला उठाने पर जबरन रंगदारी/वसूली व अन्य संबंधित अवैध गतिविधियों के मामलों में तलाशी अभियान चलाया।</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रांची जोनल कार्यालय ने अनिल गोयल, एलबी सिंह, हरेंद्र चौहान व अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 28.07.2026 को धनबाद, झारखंड में स्थित इकतीस (31) परिसरों में तलाशी और जब्ती अभियान चलाया है। तलाशी लिए गए परिसरों में उपर्युक्त व्यक्तियों के सहयोगी/रिश्तेदार/संस्थाएं व उनके निदेशक (संस्थाओं के) शामिल हैं जिनमें गणेश यादव, पप्पू मंडल, रोहित यादव, माधो सिंह आदि शामिल हैं।

ईडी ने झारखंड पुलिस द्वारा उक्त व्यक्तियों पर धनबाद और आस-पास के ज़िलों में अवैध कोयला खनन, अवैध रूप से खनन किए गए या चोरी के कोयले की तस्करी, कोयला उठाने के लिए रंगदारी/वसूली वसूलने व व अन्य संबंधित अवैध गतिविधियों जैसे अपराधों में शामिल होने के आरोप में दर्ज विभिन्न प्राथमीकियों के आधार उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध जांच शुरू की। है। पुलिस ने विभिन्न मामलों में आरोप-पत्र भी दायर किए हैं।

पीएमएलए के तहत जांच से पता चला है कि उक्त व्यक्तियों ने अनुसूचित अपराध करके बड़ी मात्रा में 'अपराध से अर्जित आय' हासिल की है। इस प्रक्रिया में, उन्होंने इस आय को इधर-उधर घुमाने (लेयरिंग) और इसे वैध स्रोत से आया हुआ दिखाने के लिए कई संस्थाओं और लोगों का इस्तेमाल किया। बाद में, अपराध से अर्जित आय का इस्तेमाल चल व अचल संपत्तियां खरीदने में किया गया।

तलाशी अभियान के दौरान, एलबी सिंह द्वारा म्यूचुअल फंड में किए गए लगभग 160 करोड़ रुपये के निवेश को फ्रीज़ कर दिया गया और 1.02 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी भी ज़ब्त की गई। इस तलाशी अभियान में कई अहम अपराध-संकेती सबूत भी मिले, जिनमें 200 से ज़्यादा अचल संपत्तियों (जिनके बारे में शक है कि वे अपराध से अर्जित आय से खरीदी गई थीं) से जुड़ी जानकारी/डेटा, कई डिजिटल डिवाइस व उन संस्थाओं के बुक ऑफ अकाउंट्स शामिल हैं जिन्हें उक्त व्यक्ति नियंत्रित करते थे।

इससे पहले नवंबर 2025 में, संबंधित मामलों में तलाशी ली गई थी, जिसमें अनिल गोयल, एलबी सिंह व संबंधित व्यक्तियों/संस्थाओं के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी।

आगे की जांच जारी है।